फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जरिये आयुक्त बनाम माली समाज गेवां समिति

किस्म मुकदमा निगरानी अन्तर्गत नियम 30 राजस्थान नगर सुधार न्यास नियम, 1974

यूआईटी निगरानी संख्या 03/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.06.2024	प्रार्थी के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी अधिवक्तागण उपस्थित है। निगरानीकर्ता अधिवक्ता ने यह निगरानी प्रकरण तत्कालीन अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, जोधपुर (वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर) के द्वारा 16 राजस्व गांव नियमन प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अप्रार्थी के पक्ष में जारी प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र (पटटा संख्या) 4335 दिनांक 27.08.2008 को निरस्त करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.09.2014 को प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत निगरानी के सम्बन्ध में नियम 30 राजस्थान नगर सुधार न्यास नियम, 1974 तथा राज0 नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन), नियम, 2012 की धारा 34 का अवलोकन किया गया राज0 नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन), नियम, 2012 की धारा 34 जो इस प्रकार हैः– Revocation of allotment.- If after the allotment or execution of lease deed it is found that the allotment or lease deed have been obtained by way of misrepresentation, on the basis of fraudulent documents, with collusion, in contravention of law or any terms and conditions of allotment or lease deed are violated then the Local Authority shall after giving reasonable opportunity of hearing to the allottee revoke the allotment and the land along with any construction thereon, shall be deemed to be vest in the Local Authority free from all encumbrances, and the Local Authority shall not be liable for any damage, whatsoever caused to any person.	

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपरोक्त निगरानी भी निगरानीकर्ता ने स्वयं अपने कार्यालय की ओर से उल्लेखित प्रकरण में अप्रार्थी के पक्ष में जारी प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र/पटटा संख्या 4335 दिनांक 27.08.2008 को चुनौती पेश की गई है। ऐसे में अपीलाधीन प्रकरण में पारित आदेश के सम्बन्ध में अधीनस्थ कार्यालय उक्त धारा 34 के तहत नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वयं सक्षम है।

उक्त नियमों की निरन्तरता में प्रस्तुत निगरानी के तहत निगरानीधीन प्रकरण में **राज0 नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन), नियम, 2012 धारा 34** के तहत विधिवत प्रकिया अपनाते हुए अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के सम्बन्धित जोन के उपायुक्त को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारित होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड आदेशिका की प्रति सहित लौटाया जावे।

(भॅवरलाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर